East Central Railway

Office of the,
General Manager(Optg.),
ECR/Hajipur

No.ECR/OPT/safety/safety-Drive/79/505 Dated: 07.06.2023

Sr. DOMs,
East Central Railway,
DNR, SPJ, DHN, SEE and DDU.

Sub:- Lack of alertness of Train Managers in exchange of All Right Signal.

Lack of alertness of staff in exchange of All Right Signal has been reported several times. Recent derailment in one of the Division has reflected badly on lack of alertness of staff. This was the case where Train Manager could have stopped the already derailed train from getting dragged further if he had exchanged All Right Signal with the SM and dropped pressure from Brake Van.

GR & SR 4.42 provides that "All Right Signal" should always be exchanged between the Train Manager and Loco Pilot to ensure that all is correct for a train to proceed and also that the Train Manager is in his Brake Van. Similarly, in case of the train passing through a Station, All Right Signal should be exchanged with the Station staff in such a way that the Train Manager can be clearly seen by the Station. For this, the Train Manager must appear at the door or on the verandah of the Brake Van and watch for signals. In case of trains passing through gate lodge, he should exchange it with the Gate Man.

SMs should be asked to mandatorily report to section controller regarding the Train Manager who has not exchanged All Right Signal while passing through the Station and the train should invariably be stopped at the next Station, advising Section Controller and next Station's Station Master as per GR & SR No. 4.42. Entries to this report should also made in TSR of both the Stations.

The above instruction should be reiterated among the Train Managers, SMs and Gate Men. A policy of zero tolerance against lack of alertness should be followed to check recurrence of failures. Inspecting officials should resort to ambush checks and surprise inspections to identity cases of inactivity of Train Managers. Train Managers need to be counselled on the need for stopping their trains by application of Brake in Brake Van in case of any suspicion of incident/accident. No action will be taken for stopping train out of course to verify suspicion regarding accident/incident.

These should be strictly complied with and any failure on part of Train Managers and Station staff should be dealt with under D&AR rules. Extensive counseling should be imparted to staff.

(Dr. Manoj Singh)
PCOM/ECR/HJP

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक (परिचालन)
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

सं ईसीआर/ओपीटीजी/सुरक्षा/सुरक्षा–ड्राइव/79/505 दिनांक– 07.06.2023

वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल
दानापुर, समस्तीपुर, धनबाद, सोनपुर एवं पं.दी.द. उपाध्याय ।

विषयः– ट्रेन प्रबंधकों द्वारा ऑल राइट सिगनल आदान–प्रदान करने में सतर्कता की कमी के संबंध में।

कई बार ऑल राइट सिगनल के आदान–प्रदान करने में ट्रेन प्रबंधकों द्वारा लापरवाही की बात सामने आई है। हाल ही में एक मंडल में पटरी से गाड़ियों का अवपथित होना ट्रेन प्रबंधकों में सतर्कता की कमी को दर्शाता है। यह ऐसा मामला था जहॉ ट्रेन मैनेजर पहले से ही पटरी से अवपथित ट्रेन को आगे घसीटने से रोक सकता था, अगर उसने स्टेशन मास्टर के साथ ऑल राइट सिगनल का आदान–प्रदान किया होता और ब्रेक वैन से ब्रेक का इस्तेमाल किया होता।

जी.आर एंड एस.आर के पैरा 4.42 के अनुसार ट्रेन प्रबंधक और लोको पायलट के बीच ऑल राइट सिगनल का हमेशा आदान–प्रदान किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ट्रेन के आगे बढ़ने के लिए सब सही है और यह भी कि ट्रेन प्रबंधक अपने ब्रेक वैन में मौजूद है। इसी तरह, किसी स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन के मामले में, ऑल राइट सिगनल का स्टेशन कर्मचारियों के साथ इस तरह आदान–प्रदान किया जाना चाहिए कि ट्रेन प्रबंधक स्टेशन द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सके। इसके लिए ट्रेन मैनेजर को दरवाजे पर या ब्रेक वैन के बरामदे में उपस्थित होकर सिगनल पर नजर रखनी होगी। गेट लॉज से गुजरने वाली ट्रेनों के मामले में, उसे गेट मैन के साथ इसका आदान–प्रदान करना चाहिए।

स्टेशन से गुजरते समय ऑल राइट सिगनल का आदान–प्रदान नहीं करने वाले ट्रेन प्रबंधकों के बारे में स्टेशन मास्टर के द्वारा सेंक्शन कंट्रोलर को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करने के लिए कहा जाना चाहिए और सेक्शन कंट्रोलर को अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से जी.आर 4.42 के अनुसार सूचित करते हुए ट्रेन को अनिवार्य रूप से अगले स्टेशन पर रोक दिया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट की प्रविष्टियॉ दोनों स्टेशनों के टी.एस.आर में भी दर्ज की जानी चाहिए।

उपरोक्त निर्देश को रेल प्रबंधकों, स्टेशन मास्टरों और गेट मैन के बीच दोहराया जाना चाहिए। विफलताओं की पुनर्वृत्ति को रोकने के लिए सतर्कता की कमी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन किया जाना चाहिए। निरीक्षण अधिकारियों को रेल प्रबंधकों की निष्क्रियता के मामलों की पहचान के लिए घात लगाकर जॉच और औचक निरीक्षण करना चाहिए। किसी भी घटना/दुर्घटना के संदेह की स्थिति में ब्रेक वैन में ब्रेक लगाकर ट्रेनों को रोकने की आवश्यकता पर ट्रेन प्रबंधकों को परामर्श देने की आवश्यकता है। दुर्घटना/घटना के संदेह को सत्यापित करने के लिए ट्रेन को मार्ग से बाहर रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और ट्रेन प्रबंधकों एवं स्टेशन कर्मचारियों की ओर से किसी भी विफलता को डी. एंड ए.आर नियमों के तहत निपटाया जाना चाहिए। इस संबंध में कर्मचारियों को व्यापक स्तर पर परामर्श दिया जाना चाहिए।

मनोज 7/6/23

(डॉ मनोज सिंह)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर